वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0 225 /जो0 अ0 दिनांक 13.2.19

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री मे. अग्रणी होम्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर पिता/पति का नाम श्री स्व0 ... सिंह आराजी संख्या श्री आलोक सिंह 401 एवं 402 मौजा केशरीपुर वार्ड दशाश्वमेध में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

उपाध्यक्ष 16/16 ... वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

दिनांक..........20

12/02/19

कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1– यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर ....दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

P.T.O.

Scanned by CamScanner

शर्ते–

1. भूखण्ड पर 24 पेड़ लगाना होगा।
2. भविष्य में विभाग द्वारा शुल्कों की देयता निकलती है तो पक्ष को देय होगी।
3. शपथ पत्र में दिये गये कथन का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. निर्माणकर्ता द्वारा भवन सामग्री, भूखण्ड परिसर के भीतर ही रखी जायेगी तथा किसी प्रकार से सड़क यातायात अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति निर्माणाधीन स्थल पर रखा जायेगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच कर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।
6. निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
7. भू–स्वामित्व सम्बन्धित, रास्ता सम्बन्धित, बॅटवारा सम्बन्धित किसी भी प्रकार विवाद होने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा; इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
8. क्षेत्र में पी0एन0जी0 की उपलब्धता होने पर पक्ष को पी0एन0जी0 कनेक्शन लेना होगा।
9. स्ट्रक्चरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय धटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष,स्ट्रचरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट की होगी।
10. स्थल पर बोर्ड लगाया जायेगा, जिसपर स्वीकृति के संबंध में विवरण अंकित करना होगा।
11. विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन के पत्रांक 3595/नौ–5–206–29 रिट/2014 दिनांक 08.11.16 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
12. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत उपयोग पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
13. पार्किग क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग विजिटर पार्किग हेतु अलग से आरक्षित किया जायेगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी।

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(बी)/2017

दिनांकः जुलाई 01, 2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषयः– आवेदक "डायरेक्टर" श्री आलोक सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह, अधिकृत व्यक्ति मनीष सिंह, मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा0लि0 के आराजी संख्याः 401 व 402 मौजा केशरीपुर, परगना देहात अमानत, दशाश्वमेध, वाराणसी पर प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

––

संदर्भः आपका पत्रांकः 16/16 ग्रु0हा0/व्या0/वि0प्रा0/विन्यास/2016–17 दिनांकः 12.06.2017

––

कृपया उपरोक्त संदिर्भत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आवेदक **"डायरेक्टर" श्री आलोक सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह, अधिकृत व्यक्ति मनीष सिंह, मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा0लि0 के आराजी संख्याः 401 व 402 मौजा केशरीपुर, परगना देहात अमानत, दशाश्वमेध, वाराणसी** पर प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर द्वारा किया गया। प्राप्त उनकी आख्या दिनांकः 29.06.2017 के अनुसार विवरण निम्नवत् हैः–

A. भवन की संरचनाः–

1. कुल भूखण्ड एरिया–**4870.01** वर्गमीटर
2. ब्लाक ए (अपार्टमेन्ट) का प्रस्तावित स्टिल तल का कवर्ड एरिया–**777.09** वर्गमीटर, ब्लाक बी (कामर्शियल) का प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–**1002.37** वर्गमीटर।
3. ब्लाक ए का प्रस्तावित प्रथम तल से 07 वें तल तक प्रत्ये कतल का कवर्ड एरिया–**428.65** वर्गमीटर, ब्लाक बी का प्रथम तल का प्रस्तावित कवर्ड एरिया–**821.67** वर्गमीटर, द्वितीय तल का कवर्ड एरिया–**870.63** वर्गमीटर, तृतीय तल से पांचवें तल का कवर्ड एरिया–**976.0** वर्गमीटर, छठवें तल का कवर्ड एरिया–**938.19** वर्गमीटर, 07वें तल का कवर्ड एरिया–**838.90** वर्गमीटर।
4. ब्लाक ए का 08वें तल का प्रस्तावित कवर्ड एरिया–**377.0** वर्गमीटर है।
5. ब्लाक ए का 09वें तल का प्रस्तावित कवर्ड एरिया–**289.87** वर्गमीटर है।
6. ब्लाक ए का बेसमेन्ट प्रथम का प्रस्तावित कवर्ड एरिया–**839.47** वर्गमीटर तथा ब्लाक बी के प्रथम बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया–**1526.0** वर्गमीटर है।
7. ब्लाक ए के द्वितीय बेसमेन्ट का प्रस्तावित कवर्ड एरिया–**839.47** वर्गमीटर, ब्लाक बी का **1526.0** वर्गमीटर है।
8. भवन की ऊंचाई–ब्लाक ए की **31.50** मीटर तथा ब्लाक बी की **30.0** मीटर प्रस्तावित है।

B. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः–प्रस्तावित भवन का अधिभोग ब्लाक ए का एन0बी0

––– 2 पर

CFO VNS

Scanned by CamScanner

सी0 की ग्रुप ए रेजिडेन्सियल बिल्डिंग्स के सबडिवीजन (ए-4) की श्रेणी व ब्लाक बी का एन0बी0सी0 की ग्रुप डी असेम्बली बिल्डिंग के सबडिवीजन(डी-6) की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

C. ढ़ाचागत व्यवस्थाः-

1. पहुँच मार्गः-भूखण्ड के सामने मानचित्र मे रोड़ की चौड़ाई-14.50 मीटर है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाईः-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-6.21 मीटर है।
3. सेटबैकः-ए-अग्रभाग- 9.0 मीटर।
   बी-पृष्ठभाग-9.0 मीटर।
   सी-पार्श्वभाग प्रथम-9.0 मीटर।
   डी-पार्श्वभाग द्वितीय-9.0 मीटर।

   उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक एन0बी0सी0-2016 पार्ट-3 के क्लाज 8.2.3.1 (बी) के अनुसार प्रस्तावित है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखें जायेगें। सेटबैक में किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।
4. निकास मार्गः-प्रस्तावित भवन के ब्लाक ए में दो स्टेयर केस **1.5** मीटर चौड़ाई की तथा ब्लाक बी में दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-**2.0** मीटर एवं बेसमेन्ट हेतु दो रैम्प एक की चौड़ाई-**3.89** मीटर तथा दूसरे की चौड़ाई-**6.32** मीटर प्रस्तावित है। ब्लाक बी में ट्रैवलिंग डिस्टैन्स एन0बी0सी0-2016 पार्ट-4 के क्लाज के 4.4.2.2 (सी) टेबिल-4 एवं टेबिल-5 के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जाय।
5. रिफ्यूज एरिया का विवरणः-ब्लाक बी में सदैव एन0बी0सी0 मानको के अनुरूप रखा जाना वांछनीय होगा।

D. अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का विवरणः- एन0बी0सी0-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य हैः-

1. भूमिगत टैंकः-एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुसार 2लाख लीटर क्षमता का वांछनीय होगा।
2. पम्पः- भूमिगत् टैंक के पास दो अदद विद्युत चालित पम्प क्षमता-2280 एल0पी0एम0 व एक अदद डीजल चालित पम्प क्षमता-2280 एल0पी0एम0 तथा 180 एल0पी0एम0 क्षमता का दो जॉकी पम्प वांछनीय होगा।
3. होजरीलः- होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में स्थापित किया जाना आवश्यक है।
4. वेटराइजर सिस्टमः-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में स्थापित किया जाना आवश्यक है।
5. यार्ड हाईड्रेन्टः-प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0-13039::1991 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
6. हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में स्थापित किया जाना आवश्यक है।
7. स्वचालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टमः-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में स्थापित किया जाना आवश्यक है।
8. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार बी ब्लाक में पूर्ण रूप से

CFO
VNS

---- 3 पर

Scanned by CamScanner

तथा ए ब्लाक के बेसमेन्ट में स्थापित किया जाना आवश्यक है।

9. **टैरेस टैंक**:– ए ब्लाक में 25,000 (पच्चीस हजार) लीटर क्षमता का एवं बी ब्लाक में 20,000 (बीस हजार) लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
10. **टैरेस पम्प**:–ब्लाक ए के टैरेरा पर 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरेस पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
11. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)**:–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई0एस0–2190 के मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
12. **स्मोक एक्सटेंशन सिस्टम**:–

    ए–फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग 02 घंटा।

    बी–स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए बेसमेन्ट में एक्सट्रैन्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
13. **प्रेशराइजेशन प्रणाली**:–ब्लाक बी में प्रेशराइजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टरलिंक किया जाय जो एन0बी0सी0 के मानक के अनुसार हो।
14. **एक्जिट साइनेज**:–भवन निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाय।
15. **पी0ए0 सिस्टम**:–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन मे किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदक को इस शर्त पर प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि, आवेदक **"डायरेक्टर" श्री आलोक सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह,** अधिकृत व्यक्ति **मनीष सिंह, मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा0लि0** के आराजी **संख्या: 401 व 402 मौजा** केशरीपुर, परगना **देहात अमानत, दशाश्वमेध, वाराणसी** पर प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा अधिवासित एवं व्यावसायिक कार्य करने से पूर्व, भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर, अन्तिम रूप से अग्निशमन सुरक्षा पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

भवन निर्माण के पश्चात अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने से पूर्व अधिवासित एवं व्यावसायिक कार्य स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।

01-7-17

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।

प्रतिलिपिः–

1. **"डायरेक्टर" श्री आलोक सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह, अधीकृत व्यक्ति मनीष** सिंह, मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा0 लि0 के आराजी **संख्या: 401 व 402 मौजा केशरीपुर,** परगना देहात अमानत, दशाश्वमेध, वाराणसी पर प्रस्तावित भवन निर्माण के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक: 29.06.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
नगर निगम, वाराणसी।

सेवा में,

नगर अभियंता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।

पत्र संख्या- 337/राजस्व/2017-18 दिनांक- 17/06/2017

<u>विषय- मानचित्र अनापत्ति के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से प्राप्त पत्रांक-16/16 गु0हा0/व्या0/विन्यास/17-18 दिनांक-12.06.2017 मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा0लि0 डायरेक्टर आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आराजी नं0-401, 402 मौजा-केसरीपुर, परगना-देहात अमानत तहसील-सदर, जिला वाराणसी, विभागीय आख्यानुसार उक्त प्रस्तावित स्थल नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है।

अतएव तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

17/6

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
नगर निगम, वाराणसी

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
927-डी, बरईपुर, पो0-कन्दवॉं, वाराणसी-221106
E-mail-eeedd2vns@gmail.com

पत्रांक 1974 /वि.वि.खं.द्वि.(वा.)/ दिनांक 06-07-17

विषय—अनापत्ति प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता (भवन),
वाराणसी विकास प्रधिकरण,
वाराणसी।

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने कार्यालय पत्रांक 16/16 वि0प्रा दिनांक 12.06.2017 का अवलोकन करें।

इस सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा0लि0 वास्ते डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह द्वारा आराजी नं0—401 व 402 मौजा केशरीपुर परगना—देहात अमानत जिला—वाराणसी में परिसर के आस—पास कोई भी विद्युत की एल0टी0/एच0टी0 व अन्डर ग्राउण्ड लाइन नहीं गुजर रही है एवं मानक के अनुसार उचित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

संलग्नक—यथोपरि।

अधिशासी अभियन्ता
(एल0पी0चकवेदी)
अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या /वि.वि.खं.द्वि.(वा.)/ दिनांक ....

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एल0पी0चकवेदी)
अधिशासी अभियन्ता

D:vivek S.D.O.

Scanned by CamScanner

8935000961.

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

(जोन–4)

भेलूपुर, वाराणसी–221010

प्रेषकः– अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)

सेवा में,

नगर अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी.

संख्या– .... / ।।/जोन–4/ज.क.न.नि.वा. दिनांक..................2017

विषय– आराजी भूखण्ड संख्या– 401, 402, मौजा– केशरीपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या– 16/16ग्रु0हा0/विन्यास/17–18 दिनांक–: 12/06/2017 द्वारा आराजी भूखण्ड संख्या– 401, 402, मौजा– केशरीपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी का मनचित्र की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा गया था।

निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड नगर निगम, जलकल विभाग की सीमा से बाहर है। भूखण्ड जलापूर्ति तथा सीवर व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। अतः जलकल विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

पृ0सं0:– 147/।।/जोन–4/ ज.क.न.नि.वा. दिनांकः– 19/06/2017

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, वाराणसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. भवन/भूखण्ड स्वामी मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा0लि0 "डायरेक्टर" मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह, आराजी भूखण्ड संख्या– 401, 402, मौजा– केशरीपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

Scanned by CamScanner

☎ फोन : 0542–2277959,
8935000961,

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

(जोन–4)

मेलूपुर, वाराणसी–221010

प्रेषकः– अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)

सेवा में,

नगर अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी.

संख्या– 1147 / ।।/जोन–4/ज.क.न.नि.वा. दिनांक 19-6-2017

विषय– आराजी भूखण्ड संख्या– 401, 402, मौजा– केशरीपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या– 16/16ग्रु0हा0/विन्यास/17–18 दिनांक–: 12/06/2017 द्वारा आराजी भूखण्ड संख्या– 401, 402, मौजा– केशरीपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी का मनचित्र की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा गया था।

निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड नगर निगम, जलकल विभाग की सीमा से बाहर है। भूखण्ड जलापूर्ति तथा सीवर व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। अतः जलकल विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

पृ0सं0:– /।।/जोन–4/ ज.क.न.नि.वा. दिनांकः– / /2017

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, वाराणसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. भवन/भूखण्ड स्वामी मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा0लि0 "डायरेक्टर" मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह, आराजी भूखण्ड संख्या– 401, 402, मौजा– केशरीपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

Scanned by CamScanner